फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

बलविन्दर सिंह बनाम जोगेन्द्र सिंह वगै0

राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
27.05.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड/साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.07.2021 को पेश हो।	
7/7/21	[illegible] ...23/9/21... को [illegible]	
23-09-21	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। तलबी अप्राप्त। वास्ते तलबी इन्तजार वास्ते दि० 20/12/21 पेश हो।	[illegible] 4 20-21 / 24.11.2021 शिविर दिनाँक 15.12.2021
17/11/21	पत्रावली [illegible] प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित "प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021" मे रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली राजस्व अभियान में पंचायत मुख्यालय ...खेड़ापुर... पर दिनांक ...15/12/21... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
15/12/21	पत्रावली "प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021" मे पेश हुई। पक्षकारान् ...[illegible]... नही होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नही हो सका। अतः पत्रावली दिनांक ...18/1/22... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.3.25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश आपेक्षा दिनांक 12.3.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
12.3.25	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो० द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19.3.25 को पेश हो [signature] रीडर
19.03.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उप०। पुनः बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 15.04.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
15.04.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21.04.~~25~~ 2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
21.04.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। दावा वादीगण बाबत दस्तकाराहक दखलयाबी बजरिये तकसीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा साबित ना होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, शामिल आमिलेखागार हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस
राजस्व वाद संख्या 1/140/2021

बउनवान

1. बलविन्दर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 21 साल निवासी सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

———वादी

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र कश्मीर सिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 50 साल निवासी सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. उप पंजीयक महोदय, गोविन्दगढ़ जिला अलवर। **—असल प्रतिवादीगण**
3. आकाश सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 16 साल निवासी सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता किरणकौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह माता खुद।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
5. स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा गोविन्दगढ़ जिला अलवर परिवर्तित नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोविन्दगढ़ जिला अलवर जरिये प्रबंधक।

———तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188

राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :—

श्री कीर्तिनंदन शर्मा एडवोकेट— वादी की ओर से

श्री विष्णू सैनी एडवोकेट— प्रतिवादी सं. 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.04.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 346 रकबा 0.2400 है0, 348 रकबा 0.4600 है0, 624/347

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

रकबा 0.3100 है0 वाके ग्राम सैदमपुर तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसे आगे चलकर दावा में आराजी मुतनाजा के नाम संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि आराजी मुतनाजा पुस्तैनी पैतृक सम्पत्ति है जो बाबा कश्मीर सिंह से प्राप्त शुदा आराजी है जिस आराजी मुतनाजा में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या सं. 3 आकाश सिंह को जन्म से ही हक व अधिकार कानूनन प्राप्त हो जाते है और आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 अपने–अपने हिस्से अनुसार 1/3 –1/3 भाग पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर मुस्तर्का में कास्त करते चले आ रहे है तथा सरकारी लगान आदि करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
सत्यमेव जयते
जिला अलवर (राज०)

यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है जो शराबी व आवारा किस्म का व्यक्ति है जो आराजी मुतनाजा वादी के साथ शामलात कब्जे काश्त में करने में रूकावट व मजाहमत पैदा करता है तथा आराजी मुतनाजा को दीगर लोगो रहन बय व मुंतकिल करना चाहता है तथा आराजी मुतनाजा में वादी का हक व हिस्सा मानने से इंकार कर दिया है तथा बैंक ऋण चुकता कर फक करवाने को भी इंकार कर दिया है।

यह है कि प्रतिवादी सं. 1 ने आराजी मुतनाजा सालिम को गलत रूप से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा गोविन्दगढ़ जिला अलवर में बिला कब्जा रहन रखा हुआ है। जिस बैंक के कर्ज को भी चुकता कर वादी के हिस्से को फक नही करवा रहा है।

यह है कि वादी को दावा हाजा के लिए विनाय दावी दिनांक 24.05.2021 को जब पैदा होती है कि प्रतिवादी सं. 1 ने आराजी मुतनाजा पर आकर वादी के हिस्से में मजाहमत पैदा की तथा बटवारा करवाने से इंकार कर दिया।

अतः वादी द्वारा दावा इस्तकरारहक, दखलयाबी बजरिये तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. हाल 346 रकबा 0.2400 है0, 348 रकबा 0.4600 है0, 624/347 रकबा 0.3100 है0 वाके ग्राम सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ़ का वादी को खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

घोषित किया जाकर अलग से लगान व खाताबंदी कायम की जाकर तकसीम शुदा हिस्से पर वादी को अलग से दखल दिलवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी मुतनाजा में वादी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामिल के अनुपस्थित । इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 5 उपस्थित। प्रतिवादी सं. 5 को जवाब दावा पेश करने बाबत पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किया गया। अतः दिनांक 06.02.2024 को प्रतिवादी सं. 5 का जवाब बंद किया गया।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी बलविन्दर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह **पी डब्ल्यू–1**, गवाह मंगतसिंह पुत्र फौजासिंह **पी डब्ल्यू–2**, प्रेमसिंह पुत्र कश्मीर सिंह **पी डब्ल्यू–3** के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में जमाबंदी संवत 2070–75 **प्रदर्श–1,** जमाबंदी संवत् 2050 **प्रदर्श–2**, वाके ग्राम सैदमपुर तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर पेश कर प्रदर्शित कराये है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा दावे के तथ्यों को दोहराया गया। एवं दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. हाल 346 रकबा 0.2400 है0, 348 रकबा 0.4600 है0, 624/347 रकबा 0.3100 है0 कुल किता 3 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार पूर्ण खाता भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) शाखा गोविन्दगढ़ जिला अलवर के रहन दर्ज है। उक्त बैंक सावर्जनिक क्षेत्र का बैंक है। यदि आराजी को रहन मुक्त हुए बिना, ऋण चुकाये बिना दावा डिक्री किया जाता है तो ऐसी स्थिती में बैंक के हितों को क्षति होती है एवं बिना

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

ऋण चुकता हुए दावा वादी के पक्ष में डिक्री किया जाना नियमानुसार सही नही है अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने दावे का मुख्य आधार इस तथ्य को बनाया गया है कि वादी के हिस्से की आराजी को प्रतिवादी द्वारा बैंक ऋण चुकता कर रहन फक करवाने से इंकार कर दिया बल्कि धमकी दी कि दो चार दिन में उक्त आराजी मुतनाजा को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय, मुंतकिल करके रहूंगा। यदि प्रतिवादी अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। प्रतिवादी सं. 1 ने आराजी मुतनाजा सालिम को गलत रूप से बैंक मे बिला कब्जा रहन रखा हुआ जिस बैंक के कर्ज को भी प्रतिवादी चुकता कर वादी के हिस्से को फक नही करवा रहा है।

जमाबंदी राजस्व ग्राम सैदमपुर संवत 2070–75 (प्रदर्श–1) अनुसार वादग्रस्त आराजी वर्तमान में जोगेन्द्र सिंह पुत्र कश्मीर सिंह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) शाखा गोविन्दगढ़ जिला अलवर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2050 (प्रदर्श–2) अनुसार वादग्रस्त आराजी कश्मीर सिंह पुत्र सदासिंह राहिन भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) शाखा गोविन्दगढ़ जिला अलवर मुर्तहन बिला कब्जा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता है। एवं वादग्रस्त सम्पत्ति बैंक के रहन दर्ज रिकॉर्ड है। यदि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 5 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) शाखा गोविन्दगढ़ जिला अलवर के हितो को अपूर्णीय क्षति होगी। साथ ही वर्तमान राजस्व नियमों के तहत रहन आराजी का विक्रय द्वारा स्थानान्तरण नियमानुसार संभव नही है। न्याय दृष्टांत आर. आर. टी. 2009(1) पेज 162 उच्च न्यायालय एवं पेज 391 माननीय राजस्व मंडल अनुसार पिता के जीवनकाल में पुत्रों को किसी प्रकार का अधिकार अर्जित नही होता है। अतः वादी द्वारा अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वाद वादी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़, जिला अलवर (राज०) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

आदेश

अतः आदेश है कि दावा बाबत इस्तकरारहक, दखलयाबी बजरिये तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत आराजी खसरा नं. हाल 346 रकबा 0.2400 है0, 348 रकबा 0.4600 है0, 624/347 रकबा 0.3100 है0 कुल किता 3 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो, शामिल लेख भण्डार हो।

21.04.2025

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०